P-1 R.M.M. Law College - Saharsa
Manvendra Mandal (Subject - Drafting and pleading
Part time Lecturer) Part — II

अभिवचन के संक्षिप्तता के नियम :- अभिवचन का चौथा आधारभूत नियम अभिवचनों के दो महत्वपूर्ण गुणों की अपेक्षा करता है।(अ) संक्षिप्तता (Conciseness) तथा स्पष्टता एवं निश्चितता (precision certainity)। इसका उल्लेख करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि पक्षकार एवं अधिवक्तागण को अभिवचन का अभिकथन करते समय या ड्राफ्ट बनाते समय उपरोक्त नियम को ध्यान में रखना चाहिए। यह नियम इस प्रकार है—

(i) प्रत्येक अनावश्यक तथ्य को छोड़ देना चाहिए।

(ii) सारभूत तथ्यों का अभिकथन करते समय सब अनावश्यक विवरण को छोड़ देना चाहिए

(iii) समुचित एवं उपयुक्त भाषा का उपयोग करना चाहिए।

(iv) एक ही बात को बार-बार दोहराना नहीं चाहिए

(v) यथा संभव अनावश्यक क्रियाविशेषणों (Adverb and Adjective) व तार्किक वर्गों का उपयोग से बचना चाहिए।

(vi) दस्तावेज के शब्दों की पुनरावृत्ति किये बिना उसके वैधिक प्रभाव का कथन संक्षिप्त रुप में किया जाना चाहिए।

(vii) जहाँ किसी विद्वेष, कपटपूर्ण आशय, ज्ञान या चित की अन्य दशा का अभिकथन करना सारवान है, वहाँ उन परिस्थितियों का वर्णन किये बिना, जिनसे कि उसका अनुमान किया जाना है उसे तथ्य के रूप में अभिकथित किया जाना चाहिए।

(viii) पत्रों या वार्तालापों की श्रृंखला या अन्य परिस्थितियों के वैधिक परिणाम का अभिकथन, बिना पूरी कहानी का विस्तृत विवरण किये ही किया जाना चाहिए।

(ix) किसी ऐसी तथ्यों का अभिकथन न किया जाय जिसे कि विधि सम्बन्धित पक्षकार के पक्ष में उपधारित करती है या जिसकी सिद्धि का भार प्रतिपक्षी पर है।

Scanned with CamScanner